Centre for Culture Resources & Training
Regional Centre, Hawala Khurd, Badgaon,
Udaipur - 313011

NOTICE INVITING TENDER

Tender are invited for "Food Services in the CCRT, Regional Centre, Udaipur – 313011" for one year (01st December, 2024 to 30th November, 2025). The tender document with terms & conditions is available with Consultant, CCRT, Regional Centre, Hawala Khurd, Badgaon, Udaipur - 313011 or may be downloaded from www.ccrtindia.gov.in, web portal of CCRT Delhi.

Corrigendum if any will appear only at www.ccrtinida.gov.in

-sd/-

(O.P. Sharma)
Consultant
(CCRT RC Udaipur)

Centre for Culture Resources & Training
Regional Centre, Hawala Khurd, Badgaon,
Udaipur - 313011

CCRT/1217/01/2024-2025/ Dated: 26.09.2024

Period of Contract	One year (01st December, 2024 to 30th November, 2025)
Date of Publishing of Tender	~~08~~ 10th October, 2024
Clarification Start Date & Time	14th October, 2024 (10.00 Hrs)
Clarification & Date & Time	05th November, 2024 (12.00 Hrs)
Last Date & Time of receipt of Bids	05th November, 2024 (13.00 Hrs)
Date & Time of Opening of Bids	05th November, 2024 (15.30 Hrs)
Tender Box for hard copy	Placed in CCRT RC Udaipur
Phone No.	0294-2430764
Web site	www.ccrtindia.gov.in

NOTE: IF THERE IS ANY DIFFERENCE IN DATE AND TIME MENTIONED ABOVE AND MENTIONED ANYWHERE IN TENDER DOCUMENT, THE ABOVE DATES SHOULD BE TREATED AS FINAL.

-sd/-

(O.P. Sharma)
Consultant
(CCRT RC Udaipur)

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र,

क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर

ईमेल: rcud.ccrt@nic.in वेबसाइट: www.ccrtindia.gov.in

फोन नं. 2430764

सी.सी.आर.टी. क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर के प्रशिक्षणार्थियों हेतु भोजन, नाश्ता, चाय व्यवस्था की निविदा दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2025

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी.सी.आर.टी.) नयी दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था है। सी.सी.आर.टी. देश के सेवारत शिक्षकों के लिये अल्प अवधि के प्रशिक्षण आयोजित करता है । अधिकांश प्रशिक्षणों की अवधि 10 से 15 दिनों एवं कुछ प्रशिक्षण 18 से 20 दिन के होते हैं।

सी.सी.आर.टी. के क्षेत्रीय केन्द्र उदयपुर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं के लिये सुस्थापित केटरर्स फर्मों से भोजन व्यवस्था हेतु दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2025 के लिए निविदायें आमंत्रित करता है, जिसका अनुबंध दिनांक 30.11.2025 तक मान्य होगा।

- सुबह (प्रातःकालीन) चाय - एक कप (150 मिली)
- नाश्ता विवरण:

ब्रेड 02 पीस + बटर या जेम के साथ

व

पोहा 1 प्लेट + नमकीन

या

ब्रेड 02 पीस + बटर या जेम के साथ

व

इडली 4 पीस + सांबर 1 कटोरी

या

ब्रेड 02 पीस + बटर या जेम के साथ

व

उपमा / केसरी भात 2 कटोरी

या

ब्रेड 02 पीस + बटर या जेम के साथ

व

30/10/24

पूड़ी 5 पीस + आलु सब्जी

या

ब्रेड 02 पीस + बटर या जेम के साथ

व

प्लेन परांठा 2 पीस + सब्जी

तथा चाय

- भोजन (दोपहर/रात्रि) सामग्री विवरण:

1. चपाती/फुलका/दुप्पड़/पूड़ी	- असीमित
2. चावल	- असीमित
3. हरी सब्जी / मौसमी सब्जी	- असीमित
4. दाल	- असीमित
5. दही /छाछ/रायता	- 01 कटोरी (150 मिली लीटर)
6. पापड़	- सीमित
7. सलाद (प्याज/तरकारी/निम्बू आदि)	- सीमित
8. आचार/चटनी	- सीमित

9. चाय प्रातः 11.15 एवं अपरान्ह 3.15 बजे बिस्किट के साथ (2 मेरी गोल्ड/ सुप्रतिष्ठित कम्पनी के)

10. सप्ताह में एक दिन एक समय (लंच / डिनर) स्पेशल डाइट के रूप में मिठाई को भी सम्मिलित किया जाए।

मानदण्ड/शर्तों का विवरण

1. नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन सम्भागियों की आवश्यकतानुसार पूर्ण मात्रा में होगा।

2. भोजन ताजा, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होगा।

3. सर्विस प्लेट, ग्लास, कटोरी, चम्मच, ईंधन (गैस) इत्यादि केटरर की व्यवस्था होगी।

4. केटरिंग स्टाफ स्वच्छ वस्त्रों में, सम्भागियों एवं सी.सी.आर.टी. स्टाफ के साथ व्यवहार कुशल होंगे।

5. शुद्ध खाद्य तेल (आई एस आई / एगमार्क) केटरर द्वारा उपयोग में लाया जायेगा।

6. दुध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए (सरस/उदयपुर/अमूल डेयरी)

7. उपरोक्त वांछित व्यवस्था (चाय, नाश्ता + चाय, दो समय का भोजन तथा दो चाय की) की आरक्षित दर (Base Price) रुपये 200/- कुल/समग्र दर + जी.एस.टी. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पूर्ण निश्चित की गयी है।

8. सी.सी.आर.टी. द्वारा प्रति व्यक्ति निश्चित की गई कुल/समग्र निर्धारित दर (Base Price) से कम की दरें अमान्य होगी।

9. फर्म प्रोप्राइटर को स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपनी देखरेख में सम्भागी/अतिथियों के साथ सद्व्यवहार से भोजन कराना अपेक्षित होगा।

10. चावल, दाल, गेहूं इत्यादि अच्छी क्वालिटी /किस्म का होना अपेक्षित है।

11. प्रत्येक प्रशिक्षण में अनुमानित 60-120 सम्भागी होंगे तथापि भुगतान वास्तविक संख्या के आधार पर होगा, जो कि पंजीकरण उपरान्त ही निश्चित हो सकेगा।

12. भोजन स्थल व रसोई घर को स्वच्छ व व्यवस्थित रखना होगा।

13. भोजन का बिल प्रशिक्षण के अन्तिम दिन वास्तविक सम्भागी संख्या अनुसार भुगतान हेतु पारित किया जा सकेगा। बिल भुगतान रेखांकित चैक/नेफ्ट (NEFT) द्वारा किया जा सकेगा।

14. चाय, नाश्ता-चाय, दोपहर भोजन एवं रात्रि भोजन की अलग-अलग विभाजित दर अंकित करनी होगी। व्रत-उपवास की स्थिति में समान दर का फलाहार उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा जो कि केटरिंग फर्म को पूर्व में सूचित किया जाएगा।

15. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार सी.सी.आर.टी. द्वारा 100 से 200 स्कूली विद्यार्थियों को 1 या 2 दिन के लिए आमंत्रित किया जाता है जिनके लिये प्रावधान अनुसार दोपहर भोजन या नाश्ता की दर सी.सी.आर.टी. द्वारा अलग से दी जायेगी।

16. प्रदाता सुस्थापित एवं अनुभवी केटरिंग फर्म होनी चाहिये जो केटरिंग/भोजन व्यवस्था के कारोबार के लिये विधिवत नियमित/पंजीकृत हो तथा उन्हें इस व्यवसाय में न्यूनतम पांच वर्ष का सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में उत्तम क्वालिटी की सेवा संतोषप्रद रूप से देने का अनुभव हो। इसके साथ उनका इस व्यवसाय में विगत तीन वर्षों में रुपये 100 लाख (एक सौ लाख) का टर्न ओवर प्रतिवर्ष किया हो तथा इनके पास इस कार्य हेतु योग्यता प्राप्त कर्मियों की पर्याप्त संख्या हो। (इस संबंध में किसी भी एक संस्था में उत्तम स्तर की सेवा दी हो, उनका नाम/पता एवं अन्य विवरण अंकित कर सन्तोषप्रद सेवा प्रदान करने का प्रमाण पत्र टर्न ओवर के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।)

17. विगत तीन वर्षों की व्यवसायिक आय एवं आयकर का विवरण संलग्न करें।

18. निविदाकार को निविदा में सी.सी.आर.टी. द्वारा निर्धारित मानदण्डों /शर्तों की जानकारी होने एवं सहमत होने का घोषणा पत्र देना होगा।

19. किसी भी निविदा को बिना कारण दर्शाये अस्वीकृत करने का निदेशक, सी.सी.आर.टी. को पूर्ण अधिकार होगा। निदेशक का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

20. स्वीकृत अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवायें संतोषप्रद नहीं पायी जाने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार निदेशक, सी.सी.आर.टी. के पास सुरक्षित होगा।

21. राज्य एवं केन्द्र सरकार से संबंधित कर राशि एवं अन्य कटौती सी.सी.आर.टी. द्वारा नियमानुसार बिल भुगतान राशि में से की जाएगी। इस हेतु फर्म का "स्थायी खाता संख्या" एवं उचित व्यावसायिक अनुमति सम्बन्धित प्रमाण-पत्र एवं फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

22. सेवा अनुबंध की अवधि सभी सामान्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2025 तक मान्य रहेगी।

23. किसी भी स्थिति में 30 नवम्बर, 2025 तक स्वीकृत दरों में बदलाव नहीं होगा।

24. अनुबंध अवधि 30 नवम्बर, 2025 के पूर्ण होने पश्चात निविदादाता की सहमति से निविदा की स्वीकृत दरों पर ही 01 वर्ष की अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

25. निविदादाता को निविदा के साथ केन्द्र में धरोहर राशि रू. 10,000/- (रूपये दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट "Earnest Money A/c CCRT New Delhi" के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य होगा, ऐसा न पाए जाने पर निविदा मान्य नहीं मानी जाएगी एवं ऐसी निविदाओं पर विचार भी नहीं किया जाएगा। अनुबंध निश्चित होने पर सफल एवं असफल रही फर्म दोनों को राशि रुपये 10,000/- (रूपये दस हजार) ड्राफ्ट सी.सी.आर.टी. द्वारा पुनः लौटा दी जायेगी।

26. स्वीकृत अनुबंधित फर्म से बैंक ड्राफ्ट के रूप में रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) का बैंक ड्राफ्ट "निदेशक, सी.सी.आर.टी. नई दिल्ली" के नाम से बतौर सुरक्षा राशि अनुबंध अवधि समाप्ति तक बिना ब्याज केन्द्र में जमा होगी। जो कि अनुबन्ध समाप्ति पर पुनः लौटायी जाऐगी।

27. राज्य/केन्द्र सरकार के केटरिंग फर्मों के अधिनियमों/नियम की पालना स्वीकृत फर्म के द्वारा की जानी होगी। स्वीकृत फर्म द्वारा समस्त संवैधानिक / वैधानिक नियमों की अनुपालना न करने के लिए सी.सी.आर.टी. उत्तरदायी नहीं रहेगी।

28. निम्नलिखित आवश्यक प्रपत्र फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के साथ संलग्न किए जाने चाहिए, अन्यथा फर्म निविदा निरस्त कर दिए जाने की पात्रता रखेगी।

1. लेबर लाईसेंस प्रमाण पत्र

2. म्यूनिसिपल फूड लाईसेंस प्रमाण पत्र

3. रजिस्ट्रेशन एवं पी.एफ. खाता संख्या

4. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

5. ई.एस.आई. प्रमाण पत्र

6. पेन नं.

7. स्वीकृत फर्म द्वारा किसी एक फर्म से संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र

8. विगत 03 वर्षों की निविदा फर्म की बैलेंस शीट

9. निविदा जमा करा रही फर्म का शॉप एवं स्टेबलिश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र।

28. किसी भी प्रकार के विवाद के न्यायिक निपटान के लिए उदयपुर स्थित सेशन न्यायालय का कार्यक्षेत्र रहेगा।

29. निविदा का लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए तथा लिफाफे के दायीं ओर "भोजन हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

परिशिष्ट-प्

भोजन, नास्ता, चाय व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र (नमूना प्रति जो कि फर्म द्वारा अपने लेटर पेड पर प्रस्तुत किया जाना है।)

01 दिसम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2025 तक

क्र.सं.	खाद्य सामग्री का विवरण	समय एवं मात्रा	दर	दर (पूरे दिन की)
1.	प्रातः चाय			
2.	नाश्ता + चाय			
3.	चाय + 2 बिस्किट			
4.	दोपहर भोजन			
5.	सांय काल चाय + 2 बिस्किट			
6.	रात्रि भोजन			

नोट: दिये गये मानदण्ड/शर्तों व मेन्यू विवरण अनुसार।

घोषणा:

मैंने/मेरी फर्म ने सी.सी.आर.टी. द्वारा दी गई / वर्णित सम्बन्धित शर्तों को संज्ञान में लिया है, और मैं/मेरी फर्म निविदा के मानदंड/शर्तों के विवरण से सहमति रखते हैं।

हस्ताक्षर मय सील

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र

Centre for Cultural Resources and Training

(Under aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

क्षेत्रीय केन्द्र, हवाला खुर्द, बडगाँव, उदयपुर - 313011 राजस्थान, भारत,

दूरभाष (0294) 2430764

भोजन व्यवस्था (केटरिंग) के आवेदन पत्र

नोट: यह फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा।

1. निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक :...

2. निविदा खोलने की दिनांक :...

सेवामें,

परामर्शक महोदय
सीसीआरटी क्षेत्रीय केन्द्र,
उदयपुर

महोदय,

मैं अपनी फर्म का स्थापना एवं अनुभव आदि का विवरण को निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

1. फर्म / ठेकेदार का नाम : ....

2. पता : ....

3. टेलिफोन नं. / मोबाईल नं. : ....

4. फर्म स्थापना वर्ष : ....

5. अनुभव : ....

(सरकारी/निजी क्षेत्र संस्थाओं आदि में
विगत 3 वर्षों में किए गए कार्य का ब्यौरा
तथा नाम व पते का उल्लेख करें)

(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. ईएमडी : ....

एफडी नं. / बैंक का विवरण

7. पेन/टेन नं. : ....

8. जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं. : ....

9. दरों का विवरण : निम्न सारणी अनुसार

क्र.सं.	खाद्य सामग्री का विवरण	समय एवं मात्रा	दर	दर (पूरे दिन की)
1.	प्रातः चाय			
2.	नाश्ता + चाय			
3.	चाय + 2 बिस्किट			
4.	दोपहर भोजन			
5.	सांय काल चाय + 2 बिस्क़िट			
6.	रात्रि भोजन			

मैं निविदा अनुसूची में निर्धारित सभी नियम और शर्तें स्वीकार करता हूँ।

भवदीय

(प्रोपराइटर)
हस्ताक्षर मय
सील